Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता 30 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *18 अक्टूबर,* मंगलवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुरेन्द्र सिंह अधिशासी अभियंता एवं गुलाब सिंह सहायक अभियंता राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को परिवादी से 30 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में करवाये गये निर्माण कार्यों के पूर्व में पास एवं बकाया राशि करीब 24 लाख 50 हजार रुपये के बिलों को पास करने की एवज में कुल बिल राशि का 5.50 प्रतिशत कमीशन के रूप में सुरेन्द्र सिंह अधिशासी अभियंता एवं गुलाब सिंह सहायक अभियंता राजस्थान कृषि विपणन निगम, जयपुर द्वारा **1 लाख 34 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी की जयपुर नगर द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजपाल गोदारा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री अजीराम डागुर निवासी प्लॉट नं0 498, स्कीम नं0 2 अलवर हाल निवासी फ्लेट नं0 205, इंपिरियल फ्लेट्स, प्लॉट नं0 47, सिविल लाईन्स, जयपुर हाल अधिशासी अभियंता खंड ट्रिब्यूनल मार्केट राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर एवं गुलाब सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह निवासी मकान नं0 21/197, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर हाल सहायक अभियंता राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को परिवादी से **30 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सुरेन्द्र चौधरी अधिशासी अभियंता के जयपुर स्थित फ्लेट की तलाशी में **5 लाख रुपये** की संदिग्ध नगदी भी बरामद हुई है। इसी प्रकार आरोपी गुलाब सिंह सहायक अभियंता के निवास की तलाशी में भी **5 लाख 30 हजार रुपये** की संदिग्ध नगदी एवं लाखों रुपये बाजार मूल्य के चल–अचल सम्पत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुये हैं। दोनों आरोपियों के विभिन्न ठिकानों पर एसीबी की टीमों द्वारा सघन तलाशी जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।